

## निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 01 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रमुख अभियन्ता, सिचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून के माह 05/2017 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक, श्री पंकज कुमार वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 27/4/2018 से 09/05/2018 तक श्री एस के त्यागी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

### भाग-I

1. परिचयात्मक: इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी के श्रीवास्तव एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 05/05/2017 से 18/05/2017 तक श्री जे एम एस रावत वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2014 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2017 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
- (2) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: सिचाई विभाग का कार्य यह है कि निर्माण कार्य के रूप में सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र; पूर्ण उत्तराखंड।
- (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय लाख	आवंटन	व्यय	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (समर्पित)
2015-16	--	-	592.67	578.66	-	-	14.01	-
2016-17	--	-	700.67	637.72	-	-	62.95	-
2017-18	-	-	904.59	889.56	-	-	15.03	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
		शून्य			

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, सिचाई विभाग उत्तराखंड शासन ।

**तकनीकी संवर्ग में**

प्रमुख अभियंता (विभागाध्यक्ष)

मुख्य अभियंता, गढ़वाल क्षेत्र,

अधीक्षण अभियंता,

अधिशाली अभियंता,

सहायक अभियंता,

## कनिष्क अभियंता

### गैर तकनीकी संवर्ग में

वित्त नियंत्रक , खंडीय लेखाकार, सहायक लेखाधिकारी , प्रशासनिक अधिकारी, लेखाकार, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्क सहायक।

- (iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:** लेखापरीक्षा में **प्रमुख अभियन्ता, सिचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून** को (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा संपादित की गयी उन्हें अंकित किया जाये) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रमुख अभियन्ता, सिचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 07/2017 को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया। बांसवाड़ा -चंद्र नगर मोहन खाल मोटर मार्ग के सुधारिकरण के कार्य का विस्तृत विश्लेषण किया गया।
- (v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

**भाग-॥ 'अ'**

शून्य

### भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
22/2017-18	शून्य	1,2
योग	00	2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
---------------------------	------------------------------------	---------------	---------------------------	-----------

लेखा परीक्षा दल को अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है।

**भाग-IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य  
शून्य

## भाग-V

### आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **प्रमुख अभियन्ता, सिचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:**

(i) माह 7/2017 से 4/2018 के बाउचर

(ii) -

2. **सतत् अनियमितताएं:**

(i) -

(ii) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं० नाम पदनाम

(i) 1. श्री आदित्य कुमार दिनकर प्रमुख अभियन्ता

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबद्ध रहे।**

.....

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रमुख अभियन्ता, सिचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 को प्रेषित कर दी जाय।  
(संबन्धित क्षेत्र का नाम)

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**

**आर्थिक खण्ड-II**